अध्याय – 1
सामान्य

अध्याय–1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015–16 के दौरान मध्यप्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समानुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाये गये हैं :

तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1.	राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व					
	• कर राजस्व	26,973.44	30,581.70	33,552.16	36,567.31	40,240.43
	• कर–भिन्न राजस्व	7,482.73	7,000.22	7,704.99	10,375.23	8,568.80
	योग	**34,456.17**	**37,581.92**	**41,257.15**	**46,942.54**	**48,809.23**
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	18,219.14	20,805.16	22,715.27	24,106.80	38,371.06[1]
	• सहायता अनुदान	9,928.77	12,040.20	11,776.82	17,591.44	18,330.31
	योग	**28,147.91**	**32,845.36**	**34,492.09**	**41,698.24**	**56,701.37**
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 तथा 2)	**62,604.08**	**70,427.28**	**75,749.24**	**88,640.78**	**1,05,510.60**
4.	3 से 1 का प्रतिशत	**55**	**53**	**54**	**53**	**46**

(स्रोतः मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे)

चार्ट 1.1

राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2015–16 (₹ 1,05,510 करोड़)

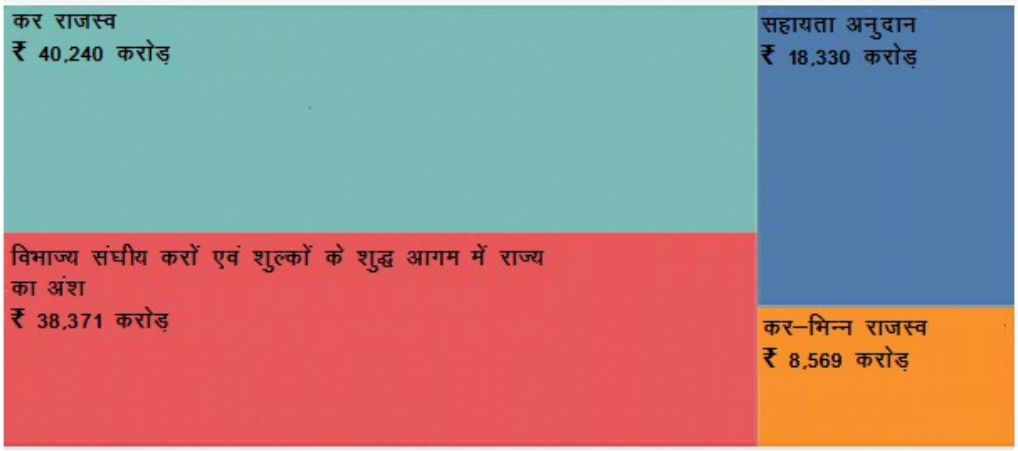

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्यप्रदेश शासन के वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 14 ''राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से'' का अवलोकन करें। शीर्ष ''राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, एवं जिसमें मुख्य शीर्ष ''0020–निगम कर, 0021–आय पर कर–निगम कर से भिन्न, 0032–सम्पत्ति कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–केन्द्रीय उत्पाद कर एवं 0044–सेवा कर'' शामिल हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2015–16 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 48,809.23 करोड़) का 46 प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्तियों का शेष 54 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

1.1.2 तालिका 1.2 वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका 1.2
वसूले गये कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2015–16 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की तुलना का प्रतिशत	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2015–16 का बजट अनुमान	2014–15 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	11830.00 12516.73	14000.00 14856.30	16500.00 16649.85	19500.00 18135.96	21300.00 19806.15	(–) 7.01	(+) 9.21
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	4050.00 4316.49	4800.00 5078.06	5750.00 5907.39	6730.00 6695.54	7800.00 7922.84	(+) 1.57	(+) 18.33
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2000.00 3284.46	3200.00 3944.24	4000.00 3400.00	4000.00 3892.77	4700.00 3867.69	(–) 17.71	(–) 0.64
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	1815.00 2047.46	2150.00 2395.03	2640.00 2578.74	2900.00 2686.39	3200.00 3084.76	(–) 3.60	(+) 14.83
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1370.00 1773.32	1370.00 1477.71	1600.00 1972.20	2050.00 2010.20	2200.00 2257.83	(+) 2.63	(+) 12.32
6.	वाहनों पर कर	1285.00 1357.12	1400.00 1531.25	1650.00 1598.93	2000.00 1823.84	2300.00 1933.57	(–) 15.93	(+) 6.02
7.	भू–राजस्व	500.31 279.06	550.00 443.59	572.00 366.23	700.10 243.10	500.00 276.86	(–) 44.63	(+) 13.89
8.	अन्य कर	267.69 1398.80	842.00 855.52	670.00 1078.82	1109.50 1079.51	1447.68 1090.73	(–) 24.66	(+) 1.04
	योग	**23118.00** **26973.44**	**28312.00** **30581.70**	**33382.00** **33552.16**	**38989.60** **36567.31**	**43447.68** **40240.43**		

(स्रोत : मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

चार्ट 1.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2015–16 के दौरान कर राजस्व (₹ 40,240.43 करोड़)

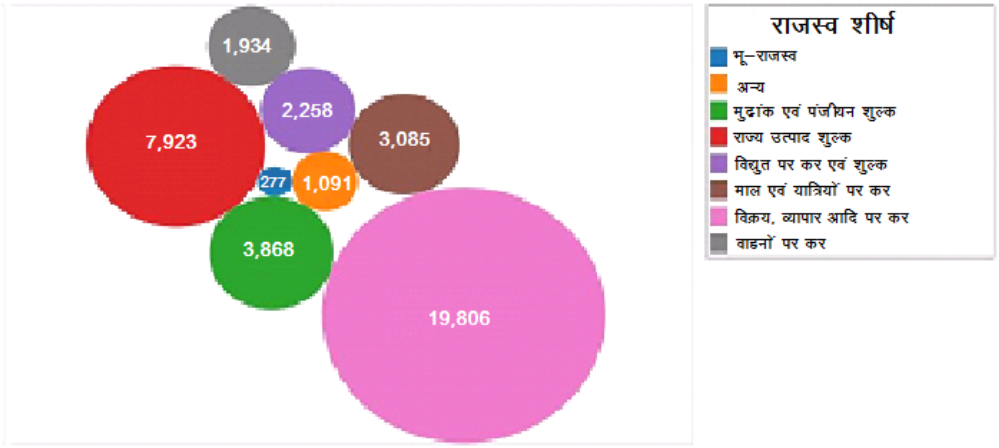

तालिका 1.2 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य (+) 2.63 एवं (–) 44.63 प्रतिशत की भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में (–) 0.64 तथा (+) 18.33 प्रतिशत तक की भिन्नता थी।

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित किये गये :

राज्य उत्पाद शुल्क : वर्ष 2014–15 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (18.33 प्रतिशत) मुख्यतः निविदाओं के आरक्षित मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क : वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों की तुलना में कमी (17.71 प्रतिशत) मुख्यतः पंजीयन अभिलेखों की संख्या में कमी तथा आर्थिक मंदी थी।

वाहनों पर कर : वर्ष 2014–15 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (14.83 प्रतिशत) मुख्यतः "मोटर वाहनों पर कराधान से प्राप्तियाँ" के अंतर्गत हुई।

भू–राजस्व : वर्ष 2014–15 के राजस्व संग्रहण की तुलना में इस शीर्ष के अंतर्गत 13.89 प्रतिशत अधिक राजस्व संग्रहित किया गया था, किन्तु यह बजट अनुमानों से 44.63 प्रतिशत कम था। वर्ष 2015–16 में वृद्धि मुख्यतः राजस्व वसूली में वृद्धि के कारण हुई। तथापि, बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व संग्रह में कमी के लिए विभाग की ओर से कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

1.1.3 वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर–भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.3
वसूले गये कर–भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2015–16 में वृद्धि (+)/कमी (–) की तुलना का प्रतिशत	
		बजट अनुमान / वास्तविक	बजट अनुमान / वास्तविक	बजट अनुमान / वास्तविक	बजट अनुमान / वास्तविक	बजट अनुमान / वास्तविक	2015–16 का बजट अनुमान	2014–15 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2540.00 / 2038.31	2300.00 / 2443.39	2220.00 / 2306.17	2500.00 / 2813.66	3200.00 / 3059.64	(–) 4.39	(+) 8.74
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	166.90 / 1571.41	202.00 / 301.47	204.15 / 317.85	1133.60 / 1260.65	383.37 / 429.47	(+) 12.11	(–) 65.93
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	1027.32 / 878.81	969.04 / 910.38	1100.00 / 1036.80	1250.23 / 968.77	1250.31 / 1001.71	(–) 19.88	(+) 3.40
4.	लोक निर्माण	55.54 / 47.92	63.55 / 33.22	38.49 / 46.92	49.50 / 50.82	50.76 / 65.71	(+) 29.45	(+) 29.30
5.	विविध सामान्य सेवाऐं	22.07 / 145.44	19.88 / 30.40	16.95 / 33.69	17.48 / 222.37	34.07 / 871.22	(+) 2457.15	(+) 291.79
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	117.50 / 106.05	93.49 / 239.15	184.40 / 380.22	165.50 / 140.21	182.14 / 147.01	(–) 19.29	(+) 4.85
7.	पुलिस	85.00 / 63.19	100.00 / 83.59	107.04 / 71.92	100.00 / 93.50	160.00 / 111.50	(–) 30.31	(+) 19.25
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	40.11 / 30.16	21.00 / 44.83	46.65 / 57.76	56.25 / 120.16	101.56 / 121.04	(+) 19.18	(+) 0.73
9.	सहकारिता	9.01 / 11.65	9.59 / 13.02	10.06 / 12.24	9.97 / 16.58	10.02 / 10.75	(+) 7.29	(–) 35.16
10	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	90.44 / 263.15	96.18 / 137.74	116.86 / 138.48	120.09 / 137.55	186.08 / 156.16	(–) 16.08	(+) 13.52
11	अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ	1845.11 / 2326.64	3452.27 / 2763.03	3538.40 / 3302.94	1356.27 / 4550.96	4565.97 / 2594.59	(–) 43.18	(–) 42.99
योग		**5999.00 / 7482.73**	**7327.00 / 7000.22**	**7583.00 / 7704.99**	**6758.89 / 10375.23**	**10123.98 / 8568.80**		

(स्रोत : मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

चार्ट 1.3

(₹ करोड़ में)

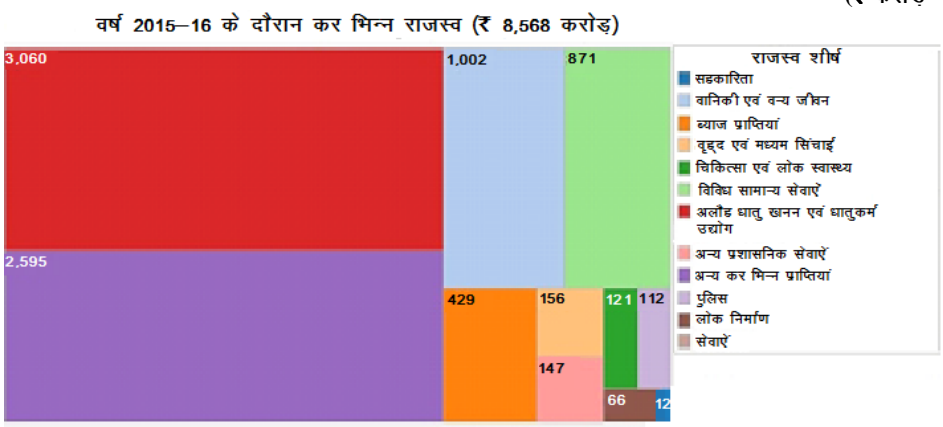

तालिका 1.3 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 में बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में (–) 43.18 से (+) 2457.15 प्रतिशत की भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 एवं 2015–2016 कर के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में (–) 65.93 प्रतिशत से (+) 291.79 प्रतिशत की भिन्नता थी।

ब्याज प्राप्तियाँ : वर्ष 2014–15 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में कमी (65.93 प्रतिशत) का मुख्य कारण "सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से ब्याज" के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी था।

विविध सामान्य सेवायें : वर्ष 2014–15 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (291.79 प्रतिशत) का मुख्य कारण "अदावाकृत जमा राशि" एवं "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि था।

पुलिस : विगत वर्ष की तुलना में राजस्व में 19.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि बजट अनुमानों के विरुद्ध प्राप्तियों में 30.31 प्रतिशत की कमी रही। वृद्धि का मुख्य कारण "अन्य सरकारों एवं अन्य पक्षों को भेजी गई पुलिस एवं शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियाँ" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थे।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2016 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 1,457.06 करोड़ थी जिसमें से ₹ 566.64 करोड़ की राशि **तालिका 1.4** में दिए गए विवरण के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

तालिका 1.4
बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2016 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2016 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के प्रत्युत्तर
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	603.91	936.91	382.99	अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी (मई एवं जुलाई 2016) बकाया की वसूली किस स्तर पर लम्बित है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
2.	आबकारी	76.64	158.27	87.16	₹ 13.16 करोड़ की वसूली माननीय न्यायालय के स्थगन के कारण तथा ₹ 45.89 करोड़ राशि की वसूली न हो पाने से वसूली अयोग्य मानते हुए अपलेखन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। विभाग ने शेष बकाया के बारे में जानकारी नहीं दी।
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	168.92	190.60	69.73	अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी (मई एवं जुलाई 2016) बकाया की वसूली किस स्तर पर लम्बित है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	10.32	13.33	प्रस्तुत नहीं	अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी (मई एवं जुलाई 2016) बकाया की वसूली किस स्तर पर लम्बित है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	156.96	157.95	26.76	वसूली योग्य बकाया राशि ₹ 126.95 करोड़ के आर.आर.सी. जारी नहीं किए गये थे। ₹ 9.63 करोड़ की वसूली माननीय न्यायालय में प्रकरण होने के कारण तथा

					₹ 28 लाख विभागीय प्राधिकारियों के साथ लंबित थी। ₹ 3.67 करोड़ बीमार कपड़ा मिलों तथा ₹ 17.41 करोड़ अन्य लंबित थे।
योग		**1,016.75**	**1,457.06**	**566.64**	

तालिका 1.4 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में विक्रय, व्यापार आदि पर कर के बकाया राजस्व में 55.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार आबकारी विभाग में वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 के बकाया में 106.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.3 निर्धारण का बकाया

प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, तथा निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण **तालिका 1.5** में वर्णित है :

तालिका 1.5
निर्धारण का बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष प्रकरण	कालम 5 से 6 का प्रतिशत
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2013–14	1,20,111	2,78,856	3,98,967	2,30,404	1,68,563	57.75
	2014–15	1,68,563	3,42,803	5,11,366	3,42,242	1,69,124	66.93
	2015–16	1,69,124	3,74,074	5,43,198	3,55,804	1,87,391	65.50
वृत्ति कर	2013–14	47,174	96,790	1,43,964	89,473	54,491	62.15
	2014–15	54,491	89,140	1,43,631	1,03,005	40,626	71.72
	2015–16	40,626	1,25,589	1,66,215	1,18,675	47,540	71.40
प्रवेश कर	2013–14	91,117	2,28,794	3,19,911	1,87,253	1,32,658	58.53
	2014–15	1,32,658	3,06,952	4,39,610	2,89,572	1,50,038	65.87
	2015–16	1,50,038	3,30,879	4,80,917	3,14,572	1,66,345	65.41
विलासिता कर	2013–14	886	1,517	2,403	1,256	1,147	52.27
	2014–15	1,147	1,831	2,978	2,037	941	68.40
	2015–16	941	1,991	2,932	2,022	910	68.96
निर्माण संविदाओं पर कर	2013–14	3,686	7,793	11,479	5,192	6,287	45.23
	2014–15	6,287	12,724	19,011	9,164	9,847	48.20
	2015–16	9,847	14,773	24,620	14,513	10,107	58.95

तालिका 1.5 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 में वाणिज्य कर/वैट, प्रवेश कर और विलासिता कर के निर्धारण संबंधी प्रकरणों के निराकरण में गत वर्ष की तुलना में वृद्वि हुई तथापि बड़ी संख्या में प्रकरण निराकरण हेतु लंबित थे।

1.4 विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन

वाणिज्यक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन के प्रकरण, अंतिम रूप दिये गये प्रकरण तथा अतिरिक्त कर के लिये जारी की गई मांगो का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.6
कर अपवंचन

क्रं. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को लंबित प्रकरण	2015–16 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2016 को लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	माँग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर एवं प्रवेश कर	340	354	694	333	677.09	361
2.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	15,244	14,773	30,017	11,403	69.79	18,614
3.	खनिज प्राप्तियाँ	722	13,314	14,036	12,191	4,853.86	1,845
	योग	**16,306**	**28,441**	**44,747**	**23,927**	**5600.74**	**20,820**

उपरोक्त तालिका 1.6 से देखा जा सकता है कि वर्ष के अंत में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में लम्बित प्रकरणों की संख्या अधिक है।

1.5 वापसियों के लंबित प्रकरण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2015–16 के प्रारंभ में वापसियों से सम्बंधित लंबित प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2015–16 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या का उल्लेख **तालिका 1.7** में किया गया है :

तालिका 1.7
वापसियों के लंबित प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर		मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क		राज्य उत्पाद शुल्क		विद्युत पर कर एवं शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	619	137.77	1,605	7.81	10	0.19	174	7.36
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	7,635	1,879.07	3,180	19.79	9	0.26	26	1.89
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियाँ	7,189	1,871.80	3,444	10.35	14	0.39	23	1.74
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,065	145.04	1,341	17.25	5	0.06	175	7.40
5.	वापसी का प्रतिशत (3 से 1+2)	87.10	92.81	71.97	37.50	73.68	86.67	11.5	18.81

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ऊर्जा विभाग में वापसी जारी करने की गति अत्यधिक धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश शासन द्वारा लेन–देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, जिन्हे निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता हैं एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकटतम उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2015 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया की 4,452 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 19,563 कंडिकाएं, जिनमें राशि ₹ 10,395.37 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2016 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,757	4,273	4,452
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	16,280	18,181	19,563
अन्तर्निहित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	7,520.60	8,450.35	10,395.37

1.6.1 30 जून 2016 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि
1.	वित्त	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1,308	7,136	2,098.40
2.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	73	251	682.45
3.	आबकारी	राज्य उत्पाद शुल्क	323	1,282	1,218.92
4.	राजस्व	भू–राजस्व	1,296	4,313	3,281.99
5.	परिवहन	वाहनों पर कर	498	2,961	432.56
6.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	647	2,153	697.55
7.	खनन एवं भौमिकी	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	307	1,467	1,983.50
		योग	**4,452**	**19,563**	**10,395.37**

वर्ष 2015–16 के दौरान जारी 193 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी कार्यालय प्रमुखों से लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित

निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी संख्या इस तथ्य का द्योतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख द्वारा, महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2015–16 में लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आहूत नहीं की गयी।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लम्बित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा अधिक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

1.6.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर राजस्व/कर–भिन्न राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रख सकें।

वर्ष 2015–16 के दौरान, कुल 2,659 कर निर्धारण नस्तियाँ, पंजियां एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। सभी प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के प्रकरणों का विभागवार विवरण **तालिका 1.10** दिया गया है:

तालिका 1.10
अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने का विवरण

विभाग का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षित किया जाना था	लेखापरीक्षित नहीं हुए प्रकरणों की संख्या
भू–राजस्व	2015–16	21
उत्पाद शुल्क	2015–16	857
वाणिज्यिक कर	2015–16	1,780
पंजीयन एवं मुद्रांक	2015–16	1
	योग	**2,659**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाएं महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छः सप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी की गई। संबंधित विभाग के प्रमुखों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें वाणिज्यक कर विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों के उत्तर प्राप्त हुए। वाणिज्यिक कर विभाग ने बताया कि इन प्रकरणों पर विस्तृत उत्तर बाद में प्रस्तुत किये जायेंगे क्योंकि प्रत्येक प्रकरण को पुनः खोलकर प्रकरण की जाँच हेतु फिर से निर्धारण किया जाना था। उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त थे (अक्टूबर 2016)। बैठक के दौरान अन्य विभागों द्वारा दिये गये उत्तरों को विधिवत शामिल किया गया।

यह प्रतिवेदन जिसमें 49 कंडिकाऐं, सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा **"ई–पंजीयन (संपदा)"** तथा दो लेखापरीक्षायें **''मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 46 के**

अंतर्गत अपील एवं रिमांड मामलों का निवर्तन'' व **''विद्युत शुल्क, फ़ीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण''** सम्मिलित थी, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को अप्रैल तथा जुलाई 2016 के मध्य प्रेषित की गयी थीं। उर्जा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपना उत्तर प्रेषित किया गया जिसे विधिवत रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया । वाणिज्यिक कर तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा सूचना प्राद्योगिकी प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर उन्हें अनुस्मारक जारी करने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिन्हें विभाग/शासन की प्रतिक्रिया के बिना ही प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। यद्यपि, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रतिवेदन में उचित स्थान पर शामिल किया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

उच्चाधिकार प्राप्त समिति[2] द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी कंडिकाओं पर विभाग द्वारा किए गए सुधारात्मक/उपचारात्माक उपायों पर स्वतः ही व्याख्यात्मक टिप्पणी महालेखाकार से विधिवत पुनरीक्षण करा कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानसभा के पटल पर रखे जाने के तीन माह[3] के भीतर लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करना होता है।

राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क तथा खनन) की 57 कंडिकाओं से संबंधित विस्तृत टीप प्राप्त नहीं हुई (मार्च 2016)।

राज्य के विधायी मामलों के विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार, लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा किये जाने की तिथि के छः माह के भीतर जारी किये जाने चाहिये। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जा रहे थे।

मध्यप्रदेश शासन के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 तथा 2015 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 219 कंडिकाएं राज्य विधान सभा के समक्ष मार्च 2011 से जुलाई 2015 के मध्य रखी गयीं। राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क तथा खनन) की 72 कंडिकाओं पर विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये (मार्च 2016)।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभागों/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अग्रलिखित कंडिकायें 1.7.1 से 1.7.3 पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2006–07 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में **परिवहन विभाग** के निष्पादन की विवेचना करती है।

---

2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समीक्षा एवं प्रतिक्रिया हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की जाती है। (शकधर समिति प्रतिवेदन)

3 ऐसी स्थिति में जब लेखापरीक्षा कंडिकाऐं लोक लेखा समिति/COPU द्वारा इस अवधि में चयनित नहीं किये गये हों, स्वतः ही प्रत्युत्तर तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, उनमें सम्मिलित कंडिकाओं तथा 31 मार्च 2016 को इनकी संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.11** में दर्शाई गई है :

तालिका 1.11
परिवहन विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि. प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य
2006–07	267	1425	272.13	29	177	29.70	5	142	31.75	291	1460	270.08
2007–08	291	1460	270.08	22	148	24.13	7	67	15.56	306	1541	279.37
2008–09	306	1541	279.37	28	164	19.72	7	65	20.08	327	1640	279.01
2009–10	327	1640	279.01	29	179	38.52	0	40	0.97	356	1779	316.49
2010–11	356	1779	316.49	26	153	11.37	0	16	1.38	382	1916	326.55
2011–12	382	1916	326.55	13	85	7.94	0	11	2.00	395	1990	332.49
2012–13	395	1990	332.49	36	303	30.78	0	8	0.01	431	2285	363.26
2013–14	431	2285	363.26	21	209	19.94	1	15	0.38	451	2479	382.82
2014–15	451	2479	382.82	25	314	23.58	0	12	1.05	476	2781	405.35
2015–16	476	2781	405.35	25	237	37.03	0	9	0.02	501	3009	442.36

शासन द्वारा विभागीय समिति एवं महालेखाकार कार्यालय के मध्य पुरानी कंडिकाओं के निराकरण के लिये तदर्थ समिति की बैठक की व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त तालिका से अवलोकित किया जा सकता है कि 2006–07 के प्रारम्भ में 267 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1,425 कंडिकाएं लम्बित थी, वर्ष 2015–16 के अंत तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 501 एवं कंडिकाओं की संख्या 3,009 हो गयी। लंबित कंडिकाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं के निराकरण के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

1.7.2 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा प्रतिवेदित वसूल की गयी राशि की स्थिति **तालिका 1.12** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.12
स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31.03.2016 तक वसूल की गई राशि की संचयी स्थिति
2005–06	1 समीक्षा	11.84	2	3.10	0.92	1.25
2006–07	3+1 समीक्षा	5.39	1	5.05	0	0.02
2007–08	11	21.18	6	19.86	0.36	2.89
2008–09	7	20.22	6	18.45	0.64	3.38
2009–10	8	11.49	5	5.36	0.94	5.36

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31.03.2016 तक वसूल की गई राशि की संचयी स्थिति
2010–11	6.1 समीक्षा	10.49	4	9.52	0.79	2.39
2011–12	4	9.48	1	7.16	0.17	0.87
2012–13	7.1 समीक्षा	21.94	4	7.20	0.24	3.34
2013–14	4.1 समीक्षा	27.00	3	24.74	0.01	0.01
2014–15	3	9.48	0	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अवधि 2010–11 से 2012–13 में वसूली में प्रगति सीमित थी। तथापि, अन्य वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों में भी वसूली नगण्य/शून्य थी। स्वीकृत प्रकरणों में संबंधित पक्षों से वसूली के प्रयास बकाया की वसूली के रूप में किये जाने थे। स्वीकृत प्रकरणों में अनुसरण के लिए विभाग/शासन के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

1.7.3 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा निष्पादित कंडिकाओं के प्रारूप को संबंधित विभाग/शासन के पास उनकी सूचना के लिए, प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित किया गया। इन कंडिकाओं पर निर्गम सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया गया तथा इन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए अंतिम रूप देने के दौरान विभाग/शासन के विचार भी सम्मिलित किये गए।

परिवहन विभाग पर पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित आयोजित की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा तथा उनकी अनुशंसाएं **तालिका 1.13** में दी गई हैं:

तालिका 1.13
अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं का सारांश
2010–11	मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण	3	1. कार्य के नियमों जैसे मांग सूचना पत्र सृजित करना, कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति आदि और अधिनियम एवं नियमों के बेहतर प्रवर्तन हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन करना। 2. उचित इनपुट प्रविष्ट करने तथा वैधीकरण जाँचों को समावेशित करने के साथ–साथ डाटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए डाटा प्रविष्टि पर पर्याप्त पर्यवेक्षण रखना। 3. प्रणाली प्रबंधन एवं डाटाबेस प्रचालन में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
2012–13	सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सहित अंतर्राज्यीय वाहन यातायात का नियमन करने वाली राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रा प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबंधों की कार्यप्रणाली	1	कर राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए जब तक नया सॉफ्टवेयर लागू होता है तब तक शासन द्विपक्षीय अनुबंधों के अन्तर्गत यातायात के संचालन से सम्बंधित उपलब्ध केन्द्रीय डाटा को समेकित करने तथा सम्बंधित इकाईयों के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए एक प्रणाली निर्धारित किये जाने के सम्बंध में विचार कर सकता है।
2013–14	मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्रों पर	8	1. पुराने और नये वाहनों की बैठक क्षमता नियमों के अनुसार संशोधित की जाना चाहिए।

	चलित लोक सेवा वाहनों पर कर का आरोपण एंव संग्रहण		2. प्रवर्तन शाखा को वाहन कर एवं शास्ति का भुगतान किये बिना चल रहे वाहनों का पता लगाने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए। 3. सभी इकाई कार्यालयों तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि राजस्व के क्षरण को रोका जा सके। 4. शासन ऐसे समस्त वाहन जिनकी फिटनेस प्रमाणपत्र देय हो उनकी जाँच हेतु आवश्यक कदम उठाये ताकि राजस्व की हानि रोकी जा सके तथा लोक सुरक्षा हो सके। 5. शासन को कर की अदायगी किये बिना व उपयुक्तता प्रमाणपत्रा का नवीनीकरण किये बिना चल रहे वाहनों का पता लगाने की प्रणाली बनाने पर विचार करना चाहिए। 6. विभाग द्वारा प्रत्येक लंबित प्रकरण की वसूली कार्रवाई की नियमित रूप से निगरानी करने तथा अनुपालन के लिए एक प्रभावी प्रणाली तैयार करना चाहिए। 7. विभाग को विशेष रूप से मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के रूप में चलित वाहनों के लिए केंद्रीय रूप से उपलब्ध डाटा को मजबूत बनाने के लिए प्रणाली विकसित करना चाहिए ताकि कर राजस्व के रिसाव से बचा जा सके। 8. शासन को राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए एक विभागीय पुस्तिका बनाने और उचित प्रणाली निर्धारित करने के लिए विचार करना चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा पर उपरोक्त सभी अनुशंसाएं, निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा स्वीकार की गई, तथापि इनके कार्यान्वयन की कोई सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2016)।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को राजस्व संग्रहण, पुरानी कंडिकाओं की प्रवृत्तियों तथा अन्य मापदण्डों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम वाली इकाईयों में वर्गीकृत किया जाता है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाते समय जोखिम का विश्लेषण करने के लिये शासन के राजस्व एवं कर प्रशासन, जैसे कि बजट भाषण, राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र, राज्य एवं केन्द्र के वित्त आयोग के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की अनुशंसाएं, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का संख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के घटकों, लेखापरीक्षा एवं इनके पिछले पांच वर्षों के प्रभाव को आधार बनाया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 1,020 इकाईयों में से 398 इकाईयों की लेखापरीक्षा योजना बनाई गई तथा 396 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई जो कि कुल योजना का 99.50 प्रतिशत थी। विवरण नीचे **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.14

विभाग का नाम	इकाईयों की कुल संख्या	योजना की इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या
वाणिज्यिक कर	132	115	114
राज्य उत्पाद शुल्क	61	44	43
परिवहन	52	28	28
भू–राजस्व	384	79	79
पंजीयन एवं मुद्रांक	273	76	76

विभाग का नाम	इकाईयों की कुल संख्या	योजना की इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या
खनन	71	32	32
ऊर्जा	47	24	24
योग	**1020**	**398**	**396**

1.9 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015–16 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, खनन प्राप्तियाँ एवं विद्युत शुल्क की 396 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 6,45,050 प्रकरणों में ₹ 2,229.45 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों ने वर्ष 2015–16 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 64,031 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 868.37 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 7,403 प्रकरणों में ₹ 6.55 करोड़ संग्रहीत किये।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में 49 कंडिकायें, (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) **''ई–पंजीयन (सम्पदा)''** पर सूचना प्राद्योगिकी लेखापरीक्षा एवं दो लेखापरीक्षा **''मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 के अंतर्गत अपील एवं रिमांड प्रकरणों के निवर्तन''** व **''विद्युत शुल्क, फीस तथा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण''** जिनमें, ₹ 970.62 करोड़ के वित्तीय प्रभाव अंतर्निहित है, सम्मिलित हैं।

विभागों/शासन ने ₹ 183.88 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 2.50 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों 2 से 8 में की गई है।